राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 282 / 2025

गजेसिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), जिला जोधपुर, राजस्थान।
4. तहसीलदार, (भू–अभिलेख), जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीश जांगिड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में निजी प्रत्यर्थी सुभाष गोदारा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने की प्रार्थना की है। प्रार्थी सुभाष गोदारा का कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को एलआरसी जोधपुर स्थानांतरित किया गया है और सुभाष गोदारा को अपीलार्थी के स्थान पर पटवार मण्डल सुरपा में स्थानांतरित किया गया है। हम पाते हैं कि सुभाष गोदारा इस अपील में आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। ऐसे में सुभाष गोदारा

का नाम निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के रूप में मूल अपील में लाल स्याही से अंकित किया जाता है।

3. प्रार्थना पत्र पर निजी प्रत्यर्थी सुभाष गोदारा को सुना गया।

4. अपीलार्थी का कथन है कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल, सुरपुरा, तह. जोधपुर से एलआरसी तह. जोधपुर में स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में स्थानांतरित किया गया था, जिस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2730/2023 में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्व के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.01.2023 को स्थगित रखे जाने के अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पूर्व के स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने पूर्व में जो स्थगन आदेश प्राप्त किया था, उसके 2 वर्ष पश्चात अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण आदेश पारित किये गये है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। वर्तमान स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया है, जिसमें कोई विधि–विरूद्धता होना प्रकट नहीं होता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया हो। वर्तमान स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। ऐसे में पूर्व में पारित स्थगन आदेश के आधार पर अपीलार्थी को एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं रखा जा सकता है। प्रशासनिक आवश्यकता में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जा सकता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)